

बिहार सरकार,
कला एवं संस्कृति विभाग
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 18/06/2026

संख्या-1/वि. 1-15/2012 137/बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 में निहित प्रावधानों के आलोक में सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना में अन्तर्निहित वित्तीय शक्तियों के तहत संयुक्त सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग को मुख्यालय से संबंधित मांग संख्या-08 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के बजटशीर्ष 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-090-सचिवालय-0003-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विपत्र कोड 082251000900003 के सभी विषय शीर्षों में ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र तक के व्यय की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(स्मिता कुमारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 880/

पटना, दिनांक 18/06/2026

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा एवं बजट शाखा के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी/आई0टी0 प्रबंधक, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Smitta
18/06/26

सरकार के अवर सचिव।